

न्यायालय— सिविल जज (जू०डि०) मौदहा, हमीरपुर।

मूल वाद सं०—93 / 2026

दिनेश मिश्रा आदि

बनाम

गया प्रसाद सिंह उर्फ हाकिम सिंह आदि

दिनांक—27.07.2026

वाद पुकारा गया। पुकार पर वादीगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आदेश पत्रक में पृष्ठांकित किया है कि पक्षकारों के मध्य सुलह समझौता हो गया है। वादीगण कोई आगे पैरवी नहीं करना चाहते। वाद की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त कर दी जाये।

पत्रावली का परिशीलन किया जिससे स्पष्ट है कि वादीगण उक्त वाद में बल नहीं देना चाहता है। अतः उक्त वाद बल न देने के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

वादीगण का वाद बल न देने के अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांक—27.07.2026

(ब्रजेश कुमार पटेल)
सिविल जज (जू०डि०),
मौदहा, हमीरपुर।
JO code—UP4766